काननों को लागू करने के लिए विद्यमान हैं, जिनमें उक्त कानून के उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने पर दण्ड देने की भी व्यवस्था है ।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

1318 **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 से 1988 तक की अवधि के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का जिलेवार ब्योरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया ;

(ग) 1 अप्रैल, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान गुजरात में कितने ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है और उस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ; और

(घ) गुजरात के प्रत्येक जिले में कौन-कौन से ग्रामीण क्षेत्रों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है और इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). गुजरात बिजली बोर्ड के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में डांगस जिले में स्थित निम्नलिखित 5 गांवों को छोड़कर सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है ।

गांव का नाम	जनगणना की कोड संख्या (1971)
1. बारड़ीपाड़ी	6
2. कडमल	23
3. महल	39
4. सुबीर	44
5. पिपलडाहड	49

ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गुजरात में 1985–88 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 146.67 करोड़ रुपए की राशि का ऋण स्वीकृत किया है । जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान 1760 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था ।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1985–88 के दौरान गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिये जिलेवार स्वीकृत की गई राशि ।

क्रम सं०	जिला	स्वीकृत ऋण (लाख रु० में)		
		1985–86	1986–87	1987–88
1		2	3	4
1.	अहमदाबाद	62.91	57.81	290.572
2.	अमरेली	24.83	—	773.84

1	2	3	4
3. बनसकंठा . . .	132.01	595.01	2533.144
4. भावनगर . .	165.44	73.72	575.009
5. भड़ौच . . .	—	139.34	237.69
6. जामनगर . . .	131.55	323.57	137.91
7. डांगस . .	114.06	75.33	—
8. गांधीनगर . .	9.66	19.78	—
9. जूनागढ़ . .	222.30	346.85	1080.79
10. खेड़ा . . .	30.71	486.66	128.355
11. कच्छ . . .	170.525	48.50	122.25
12. महसाना . .	32.08	48.77	493.462
13. पंचमहल . .	139.55	547.75	291.215
14. राजकोट . .	99.48	97.15	1087.52
15. साबरकंठ . .	93.51	87.24	790.38
16. सूरत . . .	70.90	213.07	58.092
17. सुरेन्द्रनगर . .	30.32	49.37	631.142
18. बड़ौदरा . . .	50.145	203.45	311.39
19. वलसाद . . .	15.087	5.47	33.597
जोड़ . . .	1662.067	3428.83	9576.362

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई में किराये पर लिया गया भवन

1319 **श्री रशीद मसूद :**
श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कार्यालय के लिए 1983 में बम्बई में एक भवन किराये पर लिया था और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने उसके लिए अधिक किराये का भुगतान करने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं और उस समय उनके पदनाम क्या-क्या थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सी. बी. आई. द्वारा सिफारिश किये जाने के बाद भी उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और